उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-172/2017/1497/92-2-17-21आरई/04टीसी

लखनऊ:: दिनांक:: 22 सितम्बर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-सोनभद्र के कार्यकाल में बरती गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2016/62-3-2004-21आरई/2004टी0सी0 दिनांक 21-05-2004 द्वारा श्री श्याम नारायण पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता/प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु श्री एन0के0 अग्रवाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4211/62-3-04-21आरई/2004 दिनांक 24-08-2004 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये श्री एन0के0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल-लखनऊ के स्थान पर श्री डी0के0 वर्मा, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल-वाराणसी को जॉच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी, श्री श्याम नारायण पाण्डेय के दिनांक 30-06-2011 को सेवानिवृत्त हो जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-18/2015/3328/92-2-15-21आरई/04टी0सी0, दिनांक 17-12-2015 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित कर दिया गया।

3- इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री श्याम नारायण पाण्डेय, (सेवानिवृत्त) तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता के माह नवम्बर 2016 में देहान्त हो जाने के दृष्टिगत वित्त सामान्य अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा0-3-1713/दस-87-933/98, दिनांक 28-07-1989 में दी गयी व्यवस्था **"मृत्यु होने की दशा में संबंधित सरकारी सेवक अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सकता है और चूंकि एकतरफा कार्यवाही विधिक दृष्टि से न्यायोचित नही कही जा सकती। अतः मृत्यु के दिनांक को ऐसे विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त हुए समझी जायेगी।"** के क्रम में श्री श्याम नारायण पाण्डेय, सेवानिवृत्त तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-05-2004 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-172/2017/1497/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री श्याम नारायण पाण्डेय, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।